महाविद्यालय विकास परिषद की छठी बैठक का कार्यवृत्त

दिनांक 5 नवंबर 2016, सुबह 11:00 बजे, बराद सदन

महाविद्यालय विकास परिषद की छठी बैठक दिनांक 5 नवंबर 2016 को सुबह 11:00 बजे बराद सदन के बैठक कक्ष में आयोजित की गयी थी। बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित थे :

1. प्रो. टी.बी.सुब्बा कुलपति	-	अध्यक्ष
2. प्रो. इर्शाद गुलाम अहमद, डीन, भाषा एवं साहित्य विद्यापीठ	-	सदस्य
3. डॉ. लिली एली प्राचार्य, सिक्किम सरकारी महाविद्यालय, तादोंग	-	सदस्य
4. डॉ. सुजाता बस्नेत प्राचार्य (प्रभारी) सकरी महाविद्यालय, रिनॉक	-	सदस्य
5. डॉ. दशरथ खरेल प्राचार्य (प्रभारी), सिक्किम सरकारी महाविद्यालय, ग्यालशिंग	-	सदस्य
6. डॉ. पी.के. मिश्रा प्राचार्य, डंबर सिंह महाविद्यालय, तादोंग	-	सदस्य
7. श्री टी.के.कौल कुलसचिव	–	सचिव
8. डॉ. देवाशीष चौधुरी परीक्षा नियंत्रक	-	विशेष आमंत्रित

प्रो. ज्योति प्रकाश तामांग, डीन, जीवन विज्ञान विद्यापीठ, डॉ. एस. मनिवन्णन, छात्र कल्याण डीन और डॉ. संध्या राई, प्राचार्य, लोयोला शिक्षा महाविद्यालय मुख्यालय में नहीं होने के कारण बैठक में उपस्थित नहीं हो सकें। डॉ. सुरेश कुमार गुरुंग, संयुक्त कुलसचिव (शैक्षणिक) परिषद को सहायता प्रदान करने के लिए उपस्थित रहें।

अध्यक्ष ने महाविद्यालय विकास परिषद के सभी सदस्यों का स्वागत किया। इसके बाद अजेंडा में उल्लेखित विषयों पर चर्चा की गई :

खंड – 1

कार्यवृत्त की पुष्टि एवं कार्रवाई रिपोर्ट

सीडीसी 6.1.1: दिनांक 21 मई 2016 को आयोजित महाविद्यालय विकास परिषद की 5वीं बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि

21 मई 2016 को आयोजित महाविद्यालय विकास परिषद की 5वीं बैठक के कार्यवृत्त को 27 मई 2016 को सभी सदस्यों को प्रसारित किए गए। किसी भी सदस्य की कोई टिप्पणी नहीं आई। 21

मई 2016 को आयोजित कॉलेज विकास परिषद की 5 वीं बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि की गई।

सीडीसी 6.1.2: दिनांक 21 मई 2016 को आयोजित महाविद्यालय विकास परिषद की 5वीं बैठक के कार्यवृत्त पर की गई कार्रवाई

अध्यक्ष ने सचिव को महाविद्यालय विकास परिषद की 5 वीं बैठक के कार्यवृत्त पर कार्रवाई रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा। इसके बाद सचिव द्वारा कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी थी। सदस्यों ने कार्रवाई रिपोर्ट को नोट किया।

खंड– 2

सूचनात्मक विषय

सीडीसी 6.2.1: पाकिम पैलेटाइन महाविद्यालय के नाम परिवर्तन

परिषद को सूचित किया गया था कि महविद्यालय की शासकीय निकाय ने महाविद्यालय का नाम पाकिम पैलेटाइन महाविद्यालय से पैलेटाइन महाविद्यालय के रूप में बदलने का निर्णय लिया था और विश्वविद्यालय को 19 अगस्त 2016 के पत्र द्वारा सूचना दी गई थी।

परिषद ने महाविद्यालय के नाम में हुए परिवर्तन को नोट किया।

खंड – 3

अनुसमर्थन से संबन्धित विषय

शून्य

खंड – 4

विचारार्थ और अनुमोदनार्थ विषय

सीडीसी 6.4.1: डंबर सिंह महाविद्यालय, सामदुर, तादोंग में चार वर्षीय एकीकृत बी.ए. बी.एड पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए प्रस्ताव

अध्यक्ष ने सूचित किया कि विश्वविद्यालय को प्राचार्य, डम्बर सिंह कॉलेज से शैक्षणिक सत्र 2017-18 से चार वर्षीय बी.ए. बी.एड पाठ्यक्रम शुरू करने का प्रस्ताव मिला। महाविद्यालय को 4 वर्ष के एकीकृत बी.ए. बी. एड पाठ्यक्रम शुरू करने के प्रस्ताव के लिए योग्य पाया गया। यूजीसी विनियम 2009 की धारा 4.6 और विश्वविद्यालय अध्यादेश ओडी -1 की धारा 11 के तहत एक निरीक्षण समिति का गठन किया गया था। समिति ने 19 अक्टूबर 2016 को महाविद्यालय का निरीक्षण किया और एनसीटीई की स्वीकृति प्राप्त करने के बाद शैक्षणिक सत्र 2018-19 से प्रस्ताव को मंजूरी देने की सिफारिश की

कॉलेज के प्रधानाचार्य, जो परिषद के सदस्य भी हैं, ने स्पष्ट किया कि पाठ्यक्रम के लिए एनसीटीई में आवेदन करने का समय पहले ही समाप्त हो चुका था और इसलिए यह पाठ्यक्रम जल्द से जल्द 2018-19 से शुरू हो सकता है। उन्होंने आगे कहा कि एनसीटीई सामान्य रूप से एक वर्ष के लिए सशर्त स्वीकृति प्रदान करेगा और उन शर्तों की पूर्ति होने पर ही आगे अनुमोदन को बढ़ाया जाएगा।

विचार-विमर्श के बाद परिषद ने महविद्यालय को एनओसी देने को मंजूरी दी ताकि वह पाठ्यक्रम की मंजूरी के लिए एनसीटीई को आवेदन कर सके। यह भी निर्णय लिया गया कि महाविद्यालय 4 वर्षीय एकीकृत बी.ए. बी.एड पाठ्यक्रम के लिए विनियम और पाठ्यक्रम का मसौदा तैयार करेगा और परिषद की अगली बैठक के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए विश्वविद्यालय को जमा करेगा।

सीडीसी 6.4.2: **लोयोला शिक्षा महाविद्यालय, नामची द्वारा एक अध्यावेदन**

अध्यक्ष ने सूचित किया कि लोयोला शिक्षा महाविद्यालय, नामची के एक छात्र से महाविद्यालय द्वारा क्षेत्र आधारित गतिविधियों (एफबीए) के बारे में एनसीटीई की शर्त के उल्लंघन के संदर्भ में एक शिकायत थी। छात्रों को 2 क्षेत्र आधारित गतिविधियां करने की आवश्यकता थी, जबकि उन्हें कॉलेज द्वारा बिना किसी विकल्प के प्रत्येक पेपर में सभी 4 एफबीए करने के लिए कहा गया था। सामान्य रूप से 2 वर्ष के बी.एड पाठ्यक्रम को लागू करने के अनुभव और विशेष रूप से एफबीए के दिशानिर्देशों के उल्लंघन को समझने के लिए सभी तीन बी.एड. महाविद्यालयों को पत्र भेजे गए थे और प्रतिक्रियाएँ मिली। लोयोला शिक्षा महाविद्यालय के प्राचार्य ने इसके बजाय 25 अप्रैल 2012 को विश्वविद्यालय के परिपत्र की एक प्रति संलग्न की, जिसमें महाविद्यालय के छात्रों और संकाय सदस्यों द्वारा महाविद्यालय के शैक्षणिक मामलों/प्रशासन/परीक्षा के संबंध में सीधे कुलपति/कुलसचिव को भेजे गए किसी भी पत्र/प्रस्ताव पर विचार करना निषिद्ध था। पाठ्यक्रम और एनसीटीई की शर्त के उल्लंघन के संबंध में प्राचार्य के पत्र में कोई औचित्य नहीं पाया गया।

अध्यक्ष ने बताया कि लोयोला शिक्षा महाविद्यालय के प्राचार्य ने उन्हें एक ई-मेल भेजा है और फोन पर वार्तालाप किया है और यह बताते हुए मामले को स्पष्ट कर दिया है कि महाविद्यालय छात्रों की बेहतर समझ और लाभों के लिए एनसीटीई द्वारा निर्धारित से अधिक गतिविधियाँ करना चाहता था। हालांकि, संबंधित छात्र को प्रत्येक पेपर में केवल 2 एफबीए करने का विकल्प दिया गया था, जबकि अन्य सभी 4 एफबीए अपनी इच्छा से कर रहे थे। सिक्किम सरकारी महाविद्यालय, तादोंग के प्राचार्य ने यह भी बताया कि लोयोला शिक्षा महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा उन्हें परिषद को यह बताने के लिए भी कहा गया था

परिषद ने इस मुद्दे को संवादहीनता के रूप में स्वीकारी किया और मुद्दे को समाप्त किया

सीडीसी 6.4.3: **सरकारी वोकेशनल महाविद्यालय, डेंताम की अस्थायी संबद्धता**

पश्चिम सिक्किम के डेंटम में "गवर्नमेंट वोकेशनल कॉलेज" नाम से एक नया वोकेशनल कॉलेज शुरू करने के लिए एचआरडीडी, सिक्किम सरकार के दिनांक 16 अगस्त 2016 के प्रस्ताव को

देखते हुए यूजीसी विनियम, 2009 की धारा 4.6 और विश्वविद्यालय अध्यादेश ओडी-1 की धारा 11 के तहत एक समिति का गठन किया गाथा था। समिति ने दिनांक 22 सितंबर 2016 को महाविद्यालय का निरीक्षण किया और इसकी रिपोर्ट प्रस्तुत की।

परिषद ने निरीक्षण समिति की रिपोर्ट पर विचार-विमर्श किया और शैक्षणिक परिषद और विश्वविद्यालय की कार्यकारी परिषद के अनुमोदन और एआईसीटीई की मंजूरी के लिए महाविद्यालय को अस्थायी संबद्धता देने के प्रस्ताव पर विचार करने का निर्णय लिया। पाठ्यक्रम की मान्यता के लिए एआईसीटीई को आवेदन करने के लिए आवश्यक महाविद्यालय को अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) देने का भी निर्णय लिया गया। निरीक्षण समिति द्वारा अनुशंसित 30 के प्रवेश के लिए एआईसीटीई के मानदंडों के अनुसार प्रवेश स्वीकार करने का भी निर्णय लिया गया।

सीडीसी 6.4.4: नामची सरकारी महाविद्याल्य, नामची में 2 स्नातकोत्तर विषयों को शुरू करने के लिए प्रस्ताव

विश्वविद्यालय को प्राचार्य, नामची सरकारी महाविद्यालय, कामरंग, नामची, दक्षिण सिक्किम से नेपाली और राजनीति विज्ञान में 2 स्नातकोत्तर विषयों को शैक्षणिक सत्र 2017-18 से शुरू करने के लिए एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ । यूजीसी विनियम, 2009 की धारा 4.6 और विश्वविद्यालय अध्यादेश ओडी-1 की धारा 11 के तहत एक निरीक्षण समिति का गठन किया गया, जिसने 23 सितंबर 2016 को महविद्यालय का दौरा किया और उसकी रिपोर्ट विश्वविद्यालय को प्रस्तुत की।

परिषद ने रिपोर्ट पर विचार-विमर्श किया और शैक्षणिक परिषद के अनुमोदन के लिए निम्नलिखित सिफारिश की।

i) छात्रों के प्रत्येक बैच के लिए महाविद्यालय कम से कम एक योग्य पूर्णकालिक शिक्षक की नियुक्ति करेगा
ii) निरीक्षण समिति परिषद के निर्णय और निरीक्षण समिति की टिप्पणियों के अनुपालन के लिए अप्रैल 2017 में महाविद्यालय का दौरा करेगी।

सीडीसी 6.4.5: बी.एड (अंशकालीन) पर विनियम

विश्वविद्यालय को शैक्षणिक सत्र 2017-18 से बीएड (अंशकालीन) कार्यक्रम शुरू करने के लिए प्राचार्य, हर्कमाया शिक्षा महाविद्यालय से एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ। सीडीसी की 5 वीं बैठक में प्रस्ताव पर विचार किया गया और तदनुसार विश्वविद्यालय अध्यादेश ओडी-1 के तहत बी.एड. (अंशकालीन) पर विनियम तैयार किए गए थे।

यह सूचित किया गया कि पूर्णकालीन बी.एड (नियमित) और बी.एड (अंशकालीन) दोनों के लिए सामने सामने आयोजित की जाने वाली सामान्य परीक्षा के लिए एनसीटीई विनियम 2014 की धारा 5.3 और बी.एड (अंशकालीन) पाठ्यक्रम (परिशिष्ट 11) में बताया गया है जो विश्वविद्यालय

के अनुसार लागू करना कठिन था। अध्यक्ष ने सूचित किया कि विश्वविद्यालय ने इस संबंध में एनसीटीई से स्पष्टीकरण मांगा है, लेकिन उत्तर की प्रतीक्षा है।

सीडीसी 6.4.6: स्नातक स्तर पर पास कोर्स तथा ऑनर्स कोर्स

विश्वविद्यालय ने फरवरी 2016 में सभी संबद्ध महाविद्यालयों में प्रधानाचार्यों और शिक्षकों के साथ बातचीत के दौरान केवल ऑनर्स के बजाय यूजी स्तर पर पास और ऑनर्स दोनों पाठ्यक्रम शुरू करने का प्रस्ताव रखा। विश्वविद्यालय ने महाविद्यालयों को केवल ऑनर्स कोर्स को जारी रखने या पास और ऑनर्स दोनों पाठ्यक्रमों की पुरानी प्रणाली को वापस लेने पर लिखित रूप से अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए कहा।

विश्वविद्यालय को 11 कॉलेजों से फीडबैक मिला जिनमें से 7 पास और ऑनर्स दोनों के पक्ष में थे जबकि 4 केवल ऑनर्स के लिए थे।

परिषद ने विचार-विमर्श करने के महाविद्यालयों के प्राचार्यों के बहुमत से शैक्षणिक सत्र 2017-18 से सभी महाविद्यालयों में स्नातक स्तर पर पास और ऑनर्स दोनों पाठ्यक्रम चलाने के प्रस्ताव को स्वीकार किया और शैक्षणीक परिषद के अनुमोदन हेतु की सिफारिश की। इसके अलावा, इसके लिए संबंधित विनियम में संशोधन करने का भी निर्णय लिया गया।

टेबल आइटम

सीडीसी 6.4.7: स्नातक पाठ्यक्रम में फ़ाउंडेशन पेपर

तीन फाउंडेशन पेपर के प्रत्येक पेपर में 4 क्रेडिट अनिवार्य हैं और विश्वविद्यालय के पाँच (5)विभागों और सभी संबद्ध महाविद्यालयों के सभी स्नातक कार्यक्रमों में उसे पढ़ाये जाते हैं। विश्वविद्यालय विभागों और संबद्ध महाविद्यालयों में वर्तमान में पढ़ाये जा रहे फाउंडेशन पेपर निम्न प्रकार हैं;

1. अनिवार्य अंग्रेजी
2. पर्यावरण अध्ययन (ईएनवीएस)
3. पूर्वी हिमालय आध्यान (ईएचएस)/मानव अधिकारी (एचआर)/लोक प्रशासन (पीए)/लिंग अध्ययन

यह सूचित किया जाता है कि इन फ़ाउंडेशन पेपरों को विभिन्न सेमेस्टर में पढ़ाया जा रहा है जिससे परीक्षा संबंधी विभिन्न जटिलताएँ और कठिनाइयाँ आ रही है। महाविद्यालयों और विश्वविद्यालय के विभागों दोनों में समान रूप से तीनों सेमेस्टर यानी IV, V और VI सेमेस्टर के आधार पर इन फ़ाउंडेशन पेपरों पढ़ाया जाना प्रस्तावित

परिषद ने इस मामले पर गहन चर्चा की और निम्नलिखित अनुक्रम में इन फ़ाउंडेशन पेपरों प्रस्तुत करने के प्रस्ताव पर विचार किया और शैक्षणिक परिषद की मंजूरी के लिए सिफारिश की।

सेमेस्टर	फ़ाउंडेशन पेपरों का नाम
IV सेमेस्टर	अनिवार्य अंग्रेजी
V सेमेस्टर.	पर्यावरण अध्ययन (ईएनवीएस)
VI सेमेस्टर	पूर्वी हिमालय अध्ययन (ईएचएस)/ मानव अधिकारी (एचआर)/लोक प्रशासन (पीए)/ लिंग अध्ययन (जीएस)

सीडीसी 6.4.8: सिक्किम विश्वविद्यालय के सम्बद्ध महाविद्यालयों द्वारा परीक्षा शुल्कों का भुगतान

जैसा कि सीडीसी की चौथी बैठक में निर्णय लिया गया है कि विश्वविद्यालय शैक्षणिक सत्र 2016-17 से व्यावहारिक परीक्षाओं के लिए बहारी परीक्षकों की नियुक्ति सहित परीक्षा, निरीक्षण, उडान दस्ते, पर्यवेक्षकों आदि पर होनेवाले खर्च को पूरा करने के लिए परीक्षार्थियों से व्यावहारिक शुल्क सहित परीक्षा शुल्क संग्रह करेगा। इससे पहले महाविद्यालयों द्वारा व्यावहारिक शुल्क सहित परीक्षा शुल्क एकत्र किया जा रहा था और उसमें से 50%परीक्षा संबंधी व्यय को पूरा करने के लिए महाविद्यालयों द्वारा प्रतिधारित किया गया था। परीक्षा नियंत्रक के कार्यालय ने बताया कि विषम सेमेस्टर 2015 से विषम सेमेस्टर 2016 तक परीक्षा शुल्क के रूप में एक बड़ी राशि (रुपये 26,66,700/-) सरकारी महाविद्यालयों में बकाया रही। सिक्किम सरकारी महाविद्यालय के प्राचार्य ने सूचित किया कि महाविद्यालय स्तर तक निशुल्क शिक्षा मुहैया कराने के सरकार के फैसले के बाद से महाविद्यालय को परीक्षार्थियों के परीक्षा शुल्क का भुगतान करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि, सिक्किम के बाहर के छात्रों के परीक्षा शुल्क का भुगतान किया जा रहा है।

विस्तृत विचार-विमर्श के बाद यह निर्णय लिया गया कि कुलसचिव को मानव संसाधन विकास विभाग के प्रधान सचिव को सिक्किम विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक (सीओई) के कार्यालय द्वारा उपलब्ध कराए गए विवरण के अनुसार भुगतान नहीं की गयी राशि प्रदान करने के लिए पत्र लिखना चाहिए।

सीडीसी 6.4.9: स्नातक पाठ्यक्रम में अंतिम परीक्षा में व्यावहारिक परीक्षाएँ

अध्यक्ष ने बताया कि यूजीसी के दिशानिर्देशों के अनुसार विश्वविद्यालय परीक्षा प्रणाली 50:50 पैटर्न का अनुसरण करती है जिसमें 50 अंक आंतरिक मूल्यांकन के लिए आवंटित किए जाते हैं (25-25 अंक के दो सत्रीय परीक्षा) और शेष सेमेस्टर परीक्षाओं के लिए शेष 50 अंकों की बाहरी रूप से जांच की जाती है। व्यावहारिक घटक वाले पेपर के लिए द्वितीय सत्रीय परीक्षा में व्यावहारिक

परीक्षा आयोजित की जाती हैं। सेमेस्टर समाप्ति परीक्षा में व्यावहारिक परीक्षा करने की कोई गुंजाइश नहीं थी और एक सेमेस्टर के दौरान छात्र द्वारा अर्जित व्यावहारिक कौशल का मूल्यांकन और परीक्षण करने के लिए भी कोई गुंजाइश नहीं थी।

प्रति पेपर कुल अंक	सत्रीय परीक्षा – I (आंतरिक)	सत्रीय परीक्षा – II (आंतरिक)	अंतिम परीक्षा (बाह्य)
100	25	25	50

विभिन्न विकल्पों पर लंबे विचार-विमर्श के बाद, परिषद का विचार था कि अंतिम सेमेस्टर परीक्षा में व्यावहारिक परीक्षा को शामिल करने के लिए पाठ्यक्रम में बदलाव किया जाना चाहिए। यह निर्णय लिया गया कि पास कोर्स में प्रत्येक विषय में तीन पेपरों में से कम से कम एक पेपर और ऑनर्स विषय में 9 पेपरों में से 3 पेपरों में प्रत्येक पेपर 100 अंकों का पूर्ण व्यावहारिक पेपर या 4 क्रेडिट्स होना चाहिए।

सीडीसी 6.4.10: 5 सरकारी महविद्यालयों में व्यावसायिक पाठ्यक्रम प्रारम्भ करना

मानव संसाधन विकास विभाग, सिक्किम सरकार ने दिनांक 1 अगस्त 2016 के पत्र के माध्यम से सिक्किम के 5 सरकारी महाविद्यालयों में व्यावसायिक पाठ्यक्रमों को शुरू करने के लिए निम्नलिखित विवरणों के अनुसार प्रस्ताव दिया है:

क्र.सं.	महाविद्यालय का नाम	प्रस्तावित व्यावसायिक पाठ्यक्रम- 1	प्रस्तावित व्यावसायिक पाठ्यक्रम-2
1	सिक्किम सरकारी महविद्यालय, तादोंग	सॉफ्टवेर डेव्लपमेंट	फार्मास्युटिकल रसायनिकी
2	सिक्किम सरकारी महविद्यालय, बुर्तुक	सूचना प्रद्योगिकी	यात्रा एवं पर्यटन प्रबंधन
3	सिक्किम सरकारी महविद्यालय, ग्यालशिंग	सूचना प्रद्योगिकी	यात्रा एवं पर्यटन प्रबंधन
4	नामची सरकारी महाविद्यालय, कामरांग,	सूचना प्रद्योगिकी	यात्रा एवं पर्यटन प्रबंधन
5	सरकारी महविद्यालय, रिनॉक	खुदरा प्रबंधन	यात्रा एवं पर्यटन प्रबंधन

सभी किन्तु चार महाविद्यालयों के लिए विधिवत निरीक्षण दल गठित किए गए थे और सिक्किम सरकारी महाविद्यालय, ग्यालशिंग, पशिचिम सिक्किम, जिसने उचित प्रारूप में प्रस्ताव नहीं किया था और आवेदन शुल्क भी जमा नहीं किया था, को छोड़कर शेष चार कॉलेजों के निरीक्षण के आधार पर निरीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी।

यह सूचित किया गया था कि केवल वे महाविद्यालय जो यूजीसी अधिनियम 1956 के 2 एफ और 12 बी के तहत मान्यता प्राप्त हैं, बी.वोक पाठ्यक्रम के लिए प्रस्ताव करने के लिए पात्र हैं और बी.वोक कार्यक्रम शुरू करने के इच्छुक कॉलेज को सीधे संबद्ध विश्वविद्यालय से एनओसी के साथ यूजीसी को प्रस्ताव भेजना चाहिए

विचार-विमर्श के बाद यूजीसी बी. वोकेशनल के दिशानिर्देश के अनुसार पाठ्यक्रम के प्रस्ताव के लिए योग्य महाविद्यालयों को एनओसी जारी करने का निर्णय लिया गया।

मानव संसाधन विकास विभाग, सिक्किम सरकार द्वारा प्रस्तावित बी. वोकेशल के लिए सम्पूर्ण पाठ्यक्रम और विनियमों को भी अगली बैठक में विचारार्थ प्रस्तुत किया जाएँ।

सीडीसी 6.4.11: दिनांक 5 मई 2016 को एम.फिल/पीएचडी पर जारी अधिसूचना को ध्यान में रखते हुए हर्कमाया शिक्षा महाविद्यालय में शिक्षा विषय में एम.फिल/पीएचडी कार्यक्रम शुरू करने के लिए पुनर्विचार

अध्यक्ष ने बताया कि विश्वविद्यालय को 27 जुलाई 2016 को हर्क्माया शिक्षा महाविद्यालय के प्रचारी से एक पत्र प्राप्त हुआ, जिसमेंयूजीसी द्वारा दिनांक 5 मई 2016 को जारी एम.फिल/पीएचडी के संशोधित दिशा-निर्देशों के मद्देनजर महविद्यालय में शिक्षा में एम.फिल/ पी.एचडी कार्यक्रम खोलने के उनके प्रस्ताव पर पुनर्विचार करने का अनुरोध किया गया था। यूजीसी (एम.फिल/पीएचडी डिग्री प्रदान करने के लिए नून्यतम मानक एवं प्रक्रिया) विनियम 2016 के आलोक में हर्कमाया शिक्षा महाविद्यालय के प्राचार्य के प्रस्ताव का पुन: परीक्षण करने के लिए पिछली निरीक्षण समिति के अध्यक्ष से अनुरोध करने हेतु एक प्रशासनिक निर्णय लिया गया था

समिति के अध्यक्ष ने अपनी प्रतिक्रिया में कहा कि एम.फिल/पीएचडी कार्यक्रम के बारे में यूजीसी विनियमन, 2016 को विश्वविद्यालय द्वारा अपनाने की आवश्यकता है और इसके अधीन विश्वविद्यालय 2017-18 से हर्कमाया शिक्षा महविद्यालय में एम.फिल/पीएचडी पाठ्यक्रम शुरू करने के प्रस्ताव पर विचार कर सकता है।

परिषद ने इस मुद्दे पर चर्चा की और यह विचार किया गया कि एम.फिल/पीएचडी पर यूजीसी विनियम 2016 को अपनाने के साथ-साथ विश्वविद्यालय के संबन्धित अध्यादेशों जैसे ओसी -6 और ओसी -7 में भी महाविद्यालयों के शिक्षकों को पर्यवेक्षक के रूप में अनुमति प्रदान करने के लिए प्रावधान शामिल करने के लिए संशोधन की आवश्यकता है।

यह निर्णय लिया गया था कि हर्कमाया शिक्षा महाविद्यालय को मौजूदा विश्वविद्यालय अध्यादेश ओसी-6 और ओसी-7 के दायरे में 2017-18 से एम.फिल/पीएचडी कार्यक्रमशुरू करने की अनुमति दी जाएँ।हालाँकि, एम.फिल/पीएचडी के पूर्ण पर्यवेक्षण एमएचआरडी द्वारा संशोधन की स्वीकृति के अधीन किया जाएगा।

सीडीसी 6.4.12: सरकारी महाविद्यालय, रिनॉक, रुंगडंग, पूर्वी सिक्किम में बी.कॉम (ऑनर्स) पाठ्यक्रम शुरू करने हेतु प्रस्ताव

अध्यक्ष ने बताया कि विश्वविद्यालय को सरकारी महाविद्यालय, रिनॉक, पूर्वी सिक्किम से शैक्षणिक सत्र 2017-18 से बी.कॉम पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए प्रस्ताव प्राप्त हुआ। निरीक्षण समिति का गठन यूजीसी नियमन 2009 की धारा 4.6 और विश्वविद्यालय अध्यादेश ओडी -1 का

खंड 11 के तहत किया गया था। निरीक्षण समिति ने 21 अक्टूबर 2016 को महाविद्यालय का दौरा किया और उसकी रिपोर्ट प्रस्तुत की।

परिषद ने समिति की रिपोर्ट पर विचार किया और बी.कॉम (ऑनर्स) पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए इस शर्त पर शैक्षणिक परिषद के अनुमोदन के लिए सिफारिश की कि मवविद्यालय द्वारा मानव संसाधन विकास विभाग, सिक्किम सरकार के अनुमोदन प्रस्तुत किया जाए।

सीडीसी 6..13: सिक्किम सरकारी महाविद्यालय, तादोंग में 9 विषयों में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम शुरू करने हेतु प्रस्ताव .

अध्यक्ष ने बताया कि विश्वविद्यालय ने शैक्षणिक सत्र से सिक्किम सरकारी महविद्यालय, तादोंग से 9 (नौ) विषयों में जैसे बॉटनी रासायनिकी, गणित, भौतिकी, प्राणिविज्ञान, वाणिज्य, अर्थशास्त्र, अंग्रेजी और इतिहास में शैक्षणिक सत्र 2017-18 से पीजी पाठ्यक्रम शुरू करने हेतु एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ। यूजीसी नियमन 2009 की धारा 4.6 और विश्वविद्यालय अध्यादेश ओडी -1 का खंड 11 के तहत निरीक्षण समिति का गठन किया गया था। निरीक्षण समिति ने महाविद्यालय का दौरा किया और अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की।

परिषद ने निरीक्षण समिति की रिपोर्ट पर विचार किया और जुलाई 2017 में प्रस्तावित पीजी कार्यक्रमों को शुरू करने की अनुमति देने से पहले कॉलेज द्वारा निरीक्षण समिति की सिफारिशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए अप्रैल 2017 में एक और निरीक्षण दल भेजने का निर्णय लिया गया। यह भी तय किया कि कॉलेज को मौजूदा ताकत के अलावा प्रत्येक प्रस्तावित विषयों में तुरंत कम से कम एक यूजीसी योग्य शिक्षक की नियुक्ति करनी चाहिए और अगले वर्ष में कम से कम 6 शिक्षक होने चाहिए। इसके अलावा, परिषद ने मानव संसाधन विकास विभाग (एचआरडीडी), सिक्किम सरकार के प्रधान सचिव को आवश्यक कार्रवाई हेतु निरीक्षण समिति की सिफारिश की एक प्रति अग्रेषित करने का निर्णय लिया।

सीडीसी 6.4.14: चिसोपानी, दक्षिण सिक्किम में अभियांत्रिक महाविद्यालय के लिए अस्थायी संबद्धता

अध्यक्ष ने बताया कि विश्वविद्यालय को लिए निदेशक, तकनीकी शिक्षा, एचआरडीडी, सिक्किम सरकार से दक्षिण सिक्किम में चिसोपानी में "सिक्किम इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी (एसआईएसटी)" के नाम से अध्ययन की शाखाओं के रूप में 1. कंप्यूटर विज्ञान और अभियांत्रिकी और 2. सिविल अभियांत्रिकी के साथ शैक्षणिक सत्र 2017-18 से एक नया इंजीनियरिंग कॉलेज शुरू करने के लिए एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ। यूजीसी विनियमन 2009 की धारा 4.6 और

विश्वविद्यालय अध्यादेश ओडी-1 के खंड 11 के तहत निरीक्षण समिति का गठन किया गया जिसने 25 अक्टूबर 2016 को महविद्यालय का दौरा किया और अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की।

परिषद ने प्रस्तावित पाठ्यक्रमों के अनुमोदन के लिए एआईसीटीई को आवेदन करने के लिए महविद्यालय को एनओसी देने का फैसला किया। इसके अलावा परिषद ने एआईसीटीई द्वारा पाठ्यक्रमों की मंजूरी के लिए अस्थायी संबद्धता विषय देने का फैसला किया और निरीक्षण समिति की सिफारिश का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए अप्रैल 2017 में एक और निरीक्षण समिति भेजने के लिए सहमति व्यक्त की।

अध्यक्ष के धन्यवाद ज्ञापके साथ बैठक समाप्त हुई।

हस्ता./-
(टी.के.कौल)
कुलसचिव एवं सचिव
महाविद्यालय विकास परिषद

हस्ता/-
(टी.बी.सुब्बा)
कुलपति एवं अध्यक्ष
महाविद्यालय विकास परिषद